>

Title: Need to accord special status to the State of Bihar.

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): सभापति महोदय, बिहार राज्य के लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर मुझे मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राज्य के रूप में बिहार के आने के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद 60 के दशक तक बिहार एक समृद्ध एवं कुशल शासन व्यवस्था का राज्य रहा। उसके बाद के काल खंड में सरकारों के कुप्रबंधन, कुशासन एवं भ्रष्टाचार ने मानव विकास सूचकांक, साक्षरता, निर्धनता आदि की दृष्टि से बिहार को देश के निचले पायदान पर खड़ा कर दिया। हालांकि पिछले 6-7 वर्षों में वर्तमान भाजपा-जदयू सरकार के शासन में बिहार की तस्वीर बदली है। प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हुआ है किंतु उसे विकसित राज्य बनने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की नितान्त आवश्यकता है।

यह शाश्वत सत्य है कि यदि भारत को विकसित देश बनाना है तो बिहार के विकास के बिना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि भारत की आबादी में से बिहार की 10 करोड़ 38 लाख आबादी अविकसित रह जाएगी जिससे भारत के कभी विकसित होने की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में इसकी आवश्यकता सुनिश्चित की हुई है। यदि कोई राज्य, समाज या व्यक्ति विशेष कारणों से पिछड़ा रह गया है तो उसे विशेष संरक्षण देकर विशेष अवसर सरकार प्रदान करेगी जिससे वह बराबरी की श्रेणी प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से बिहार गरीब राज्य की श्रेणी में है तो आवश्यक है कि केन्द्र सरकार विशेष संरक्षण देकर उसे गरीबी से बाहर निकाले।

बिहार के पिछड़े होने के अनेक प्राकृतिक कारण भी विद्यमान हैं। कोई देश या राज्य अपना इतिहास तो बदल सकता है किंतु अपना भूगोल नहीं बदल सकता है। बिहार अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और तीव्र बाढ़ प्रवरण क्षेत्र होने के कारण विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आता है। हिमालय के ढ़ालवा क्षेत्र में होने के कारण बाढ़ से प्रतिवर्ष अपूरणीय क्षति तो होती ही है, विकास की गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

बिहार की भौगोलिक स्थिति, गरीबी, पिछड़ापन, जनसंख्या, घनत्व, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके लिए बिहार सबसे उपयुक्त राज्य है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।